(5)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

PBR/निगरानी/झाबुआ/भू.रा/2017/6245 **केम्प इंदौर के समक्ष**

बापु पिता हुरजी ताड निवासी–ग्राम चारणपुरा

तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. ....**आवेदक**

श्री. मनोज व्यास अभिभाषक द्वारा 19-12-17 को प्रस्तुत किया। 19-12

विरूद्ध

1. धनजी पिता सवजी ताड निवासी–ग्राम चारणपुरा
2. धीरजी पिता सवजी ताड निवासी–ग्राम चारणपुरा
3. राधुडी बेवा सवजी ताड निवासी–ग्राम चारणपुरा

समस्त तहसील पेटलावद जिला झाबुआ म.प्र. .....**अनावेदकगण**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50.प्र.भू.राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सदर की निगरानी आवेदकगण द्वारा म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959(जिसे आगे संक्षेप मे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी महोदय, राजस्व पेटलावद द्वारा उनके अपीलीय प्रकरण कमांक 81/अपील/2016–17 मे दिनांक 20.11.2017 को पारित प्रोसेडिंग आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानी पेश है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर /निगरानी/झाबुआ/भूरा/2017/6245

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2–1–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी पेटलावद जिला झाबुआ के न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–11–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा तहसील न्यायालय द्वारा किये गये बटवारे से सहमत नहीं होने के जो कारण बताए हैं वह बटवारा नियमों के अनुरूप है, अतः उन्होंने हल्का पटवारी से पुनः फर्द बंटान मंगाने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की है । आवेदक को अभी अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष गुणदोष पर आपत्ति करने व अपना पक्ष रखने का अवसर उपलब्ध है । अतःप्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	